प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात **दिनांक- 22.07.2026**

थाना रसूलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग बालिका को बहला-फुसला कर ले जाने एवं दुष्कर्म की घटना कारित करने वाले वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात में महिला संबंधी अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, दिनांक 25.02.2026 को वादिनी द्वारा थाना रसूलाबाद पर तहरीर दी गयी कि उसकी नाबालिग पुत्री को सूरज पुत्र रूपराम निवासी ग्राम बांसखेड़ा, थाना रसूलाबाद, जनपद कानपुर देहात बहला- फुसलाकर ले गया, जिसके संबंध में थाना रसूलाबाद पर मु0अ0स0 85/2026 धारा 137(2) बीएनएस बनाम सूरज उपरोक्त पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में साक्ष्य संकलन के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 64(1)/87 बीएनएस व 3/4 पॉक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी। जिसमें थाना रसूलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए अभियुक्त सूरज उपरोक्त को दिनांक 21.07.2026 को बहालगढ़ सोनीपत (हरियाणा) से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

सूरज पुत्र रूपराम निवासी ग्राम बांसखेड़ा, थाना रसूलाबाद, जनपद कानपुर देहात, उम्र लगभग 25 वर्ष

गिरफ्तारी करने वाली थाना रसूलाबाद पुलिस टीम-

1.उ0नि0 श्री संजय दत्त, चौकी प्रभारी असालतगंज
2. हे0का0 287 धर्मेन्द्र सिंह
3. रि0म0का0 1400 रुचि